



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GL 033352

(प्रारूप-'अ')

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फॉर्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/द्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

समझ-

सचिव,

प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

हम राकेश कुमार अग्रवाल (अध्यक्ष) अनिल कुमार (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/द्रस्ट का नाम एवं पता जमुना देवी अग्रवाल मेमोरियल संस्थान, 44, मातापुरा, उरई जिला जालौन (उ०प्र०) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा जमुना देवी अग्रवाल मेमोरियल संस्थान, 44, मातापुरा, उरई जिला जालौन (उ०प्र०) (संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा इन फॉर्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तवित है।
2. यह कि हमारी/सोसाइटी/द्रस्ट के नाम जमुना देवी अग्रवाल मेमोरियल संस्थान, 44, मातापुरा, उरई जिला जालौन (उ०प्र०) (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाठा संख्या 368/2 एवं 2 एकड़ रकबा क्रमशः एवं 0.800 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.800 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

सचिव  
जमुना देवी अग्रवाल  
मेमोरियल संस्थान, उरई

रामेश कुमार अध्यक्ष  
अध्यक्ष  
जमुना देवी अग्रवाल  
मेमोरियल संस्थान, उरई

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 368/2 एवं 2 एकड़ रकबा क्रमशः एवं 0.809 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.809 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06.02.2021 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान कि संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता कि अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, ००४० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों की भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मेरे घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरहित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

अन्न उर्फ  
४० सचिव  
**सचिव**  
जमुना देवी अग्रवाल  
मेमोरियल संस्थान, उर्फ़

रामेश रेड्डी संगीता  
४० अध्यक्ष  
**अध्यक्ष**  
जमुना देवी अग्रवाल  
मेमोरियल संस्थान, उर्फ़